

सामान्य हिन्दी

4. पद-विचार

♦ पद की परिभाषा –

सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे 'पद' कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह 'पद' कहलाता है। जैसे— राम विद्यालय जायेगा। यह वाक्य 'राम', 'विद्यालय' और 'जायेगा' तीन पदों से बना है।

♦ पद-भेद :

हिन्दी में पद के पाँच भेद या प्रकार माने गये हैं –

(1) संज्ञा (2) सर्वनाम (3) क्रिया (4) विशेषण (5) अव्यय।

1. संज्ञा

'संज्ञा' (सम्+ज्ञा) शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला। अतः "वह शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान कराता है, संज्ञा कहलाता है।"

उदाहरणार्थ –

- स्थान—भारत, दिल्ली, जयपुर, नगर, गाँव, गली, मोहल्ला।
- वस्तुएँ—पंखा, पुस्तक, मेज, दूध, मिठाई।
- प्राणी—गाय, चूहा, तितली, पक्षी, मछली, बिल्ली।
- व्यक्ति—राम, श्याम, कृष्ण, महेश, सुरेश।
- गुण, अवस्था या भाव—बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सर्दी, सौन्दर्य, अपनत्व।

♦ संज्ञा के भेद –

हिन्दी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद ही माने गये हैं—(1)व्यक्तिवाचक संज्ञा (2) जातिवाचक संज्ञा (3) भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है।

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा –

जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता चलता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे –

- व्यक्तियों के नाम—राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, शबनम आदि।
- दिशाओं के नाम—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, आग्नेय आदि।
- देशों के नाम—भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल आदि।
- नदियों के नाम—गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि।
- सागरों के नाम—अरब सागर, हिन्द महासागर, लाल सागर आदि।
- पर्वतों के नाम—हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि।
- नगरों के नाम—अजमेर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ आदि।
- समाचार-पत्रों के नाम—राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अम्बर, अमर उजाला आदि।
- पुस्तकों के नाम—रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, साकेत, अंधायुग आदि।
- दिनों के नाम—सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि।
- महीनों के नाम—जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि।
- ग्रह-नक्षत्रों के नाम—सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल आदि।
- त्यौहारों के नाम—होली, दीपावली, तीज, ईद, गणगौर आदि।

2. जातिवाचक संज्ञा –

जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों अथवा सम्पूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे— मनुष्य, घोड़ा, नगर, पर्वत, स्कूल, गाय, फूल, पुस्तक, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, सब्जी, माता, मन्त्री, पण्डित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, जन, बहिन, बेटा, पहाड़, स्त्री, क्षत्रिय, प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, शिशु, उग, सेना, दल, कुंज, कक्षा, भीड़, सोना, दूध, पानी, घी, तेल आदि।

3. भाववाचक संज्ञा –

जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे— सत्य, बचपन, बुढ़ापा, सफलता, मिठास, मित्रता, हरियाली, मुस्कुराहट, लघुता, प्रभुता, वीरता, चूक, लड़कपन, जवानी, ठगी, डर आदि।

भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से पाँच प्रकार से बनती है। जैसे –

(1) जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा –

- मानव - मानवता
- दास - दासता
- बच्चा - बचपन
- स्त्री - स्त्रीत्व
- व्यक्ति - व्यक्तित्व
- क्षत्रिय - क्षत्रियत्व
- प्रभु - प्रभुता, प्रभुत्व
- वीर - वीरता, वीरत्व
- बंधु - बंधुत्व
- देव - देवता, देवत्व
- पशु - पशुता, पशुत्व
- ब्राह्मण - ब्राह्मणत्व

मित्र - मित्रता
विद्वान - विद्वता
चोर - चोरी
युवक - यौवन
मनुष्य - मनुष्यता, मनुष्यत्व।

(2) सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा –

अजनबी - अजनबीपन
मम - ममता, ममत्व
स्व - स्वत्व
आप - आपा
पराया - परायापन
सर्व - सर्वस्व
निज - निजता, निजत्व
अहं - अहंकार
अपना - अपनापन, अपनत्व।

(3) क्रिया से भाववाचक संज्ञा –

खेलना - खेल
थकना - थकावट
लड़ना - लड़ाई
बहना - बहाव
भूलना - भूल
हँसना - हँसी
देखना - दिखावा
सुनना - सुनवाई
चुनना - चुनाव
धोना - धुलाई
पढ़ना - पढ़ाई
रुकना - रुकावट
लिखना - लिखाई
जीतना - जीत
जीना - जीवन
सीना - सिलाई
जलना - जलन
सजाना - सजावट
बसना - बसावट
गाना - गान
बैठना - बैठक
बिकना - बिक्री
कमाना - कमाई।

(4) विशेषण से भाववाचक संज्ञा –

आवश्यक - आवश्यकता
युवक - यौवन
छोटा - छोटपन
सुन्दर - सुन्दरता, सौन्दर्य
शिष्ट - शिष्टता
ललित - लालित्य
सफेद - सफेदी
निपुण - निपुणता
भयानक - भय
काला - कालिम
लाल - लालिमा
सूक्ष्म - सूक्ष्मता
हरा - हरियाली
मीठा - मिठास
महान - महानता
स्वस्थ - स्वास्थ्य
लम्बा - लम्बाई
भूखा - भूख।

(5) अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा –

धिक् - धिक्कार
ऊपर - ऊपरी
दूर - दूरी
चतुर - चातुर्य
निकट - निकटता
मना - मनाही
नीचे - नीचाई
तेज - तेजी
बाहर - बाहरी।

2. सर्वनाम

◆ परिभाषा –

संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।

सर्वनाम का अभिधार्थ है—सबका नाम। जो सबके नाम के स्थान पर आये, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे— मैं, तुम, आप, यह, वह, हम, उसका, उसकी, वे, क्या, कुछ, कौन आदि।

वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम भाषा को सहज, सरल, सुन्दर एवं संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम के अभाव में भाषा अटपटी लगती है।

उदाहरणार्थ –

राम स्कूल गया है। स्कूल से आते ही राम राम का और मित्र का काम करेगा। फिर राम और मित्र खेलेंगे।
यह वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ और असुन्दर है। अब सर्वनामों से युक्त वाक्य देखिए—
राम स्कूल गया है। वहाँ से आते ही वह अपने मित्र के घर जायेगा। फिर दोनों अपना-अपना काम करेंगे। फिर दोनों खेलेंगे।

◆ सर्वनाम के भेद –

सर्वनाम के निम्नलिखित छः भेद होते हैं –

- (1) पुरुषवाचक – मैं (हम), तुम (तू, आप), वह (यह, आप)
- (2) निश्चयवाचक – यह (निकटवर्ती), वह (दूरवर्ती)
- (3) अनिश्चयवाचक – कोई (प्राणिवाचक), क्या (अप्राणिवाचक)
- (4) सम्बन्धवाचक – जो ... सो (वह)
- (5) प्रश्नवाचक – कौन (प्राणिवाचक), क्या (अप्राणिवाचक)
- (6) निजवाचक – आप (स्वयं, खुद)।

1. पुरुषवाचक सर्वनाम—

जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता (बोलने वाला) या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— उसने, मुझे, तुम आदि।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं—

(1) उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम—

जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मैंने आदि।

(2) मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम—

जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— तू, तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, तुमने आदि।

(3) अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम—

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— यह, वह, वे, उसे, उसको, इसने, उसने, उन्होंने, उनका आदि।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम—

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना—व्यापार का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि।

निकटवर्ती के लिए 'यह' तथा दूरवर्ती के लिए 'वह' का प्रयोग होता है। इस सर्वनाम को 'संकेतवाचक' या 'निर्देशक सर्वनाम' भी कहते हैं।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम—

जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— कोई, कुछ, किसी आदि।

प्राणियों के लिए 'कोई' व 'किसी' तथा पदार्थों के लिए 'कुछ' का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

- रास्ते में कुछ खा लेना।
- सम्भवतः कोई आया है।
- वहाँ किसी से भी पूछ लेना।

4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम—

जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर सम्बन्ध का बोध कराते हैं, उन्हें सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— जो, जिनका, उसका आदि।

- जो करता है, वह भरता है।
- जिसका खाते हो उसी को आँख दिखाते हो।
- जैसा करोगे वैसा भरोगे।
- जिसकी लाठी उसकी भैंस।
- जिसको आपने बुलाया था, वह आया है।

5. प्रश्नवाचक सर्वनाम—

वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के सम्बन्ध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे— कौन, क्या, कब, क्यों, किसको, किसने आदि।

व्यक्ति या प्राणी के सम्बन्ध में प्रश्न करते समय 'कौन, किसे, किसने' का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्तु या क्रिया—व्यापार के सम्बन्ध में प्रश्न करते समय 'क्या, कब' आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

- देखो, कौन आया है?
- यह गिलास किसने तोड़ा?
- आप खाने में क्या लेंगे?
- जयपुर कब जा रहे हो?

6. निजवाचक सर्वनाम—

वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे— आप, अपने आप, अपना, स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा आदि।

- हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।
- मैं अपना काम खुद कर लूँगा।
- मैं स्वयं आ जाऊँगा।
- हमारा प्यारा राजस्थान।

♦ सर्वनाम शब्दों के रूपान्तर—नियम :

(1) सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे—

राम और उसका बेटा आया था।

(2) सर्वनाम का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे— मैं (हम), वह (वे), यह (ये), इसका (इनका)।

(3) सम्बन्धकारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे—

• मैं पढ़ता हूँ।

• मैं पढ़ती हूँ।

• वह आया।

• वह आई।

• तुम स्कूल जाते हो।

• तुम स्कूल जाती हो।

(4) सर्वनाम से सम्बन्धन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता।

(5) आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे—

• तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएँ प्रदान कीं।

(6) उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे—

• हम (मैं) आ रहे हैं।

• आप (तु) अवश्य आना।

• तुम (तु) जा सकते हो।

(7) 'तू' सर्वनाम का प्रयोग अत्यन्त निकटता या आत्मीयता प्रकट करने के लिए, अपने से आयु व सम्बन्ध में छोटे व्यक्ति के लिए या कभी-कभी तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है। जैसे—

• माँ! तू क्या कर रही है?

• अरे नालायक! तू अब तक कहाँ था?

• हे प्रभु! तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा?

(8) मुझ, तुझ, तुम, उस, इन आदि सर्वनामों में निश्चयार्थ के लिए 'ई' (ी) जोड़ देते हैं। जैसे— उस (उसी), तुझ (तुझी), तुम (तुम्हीं), इन (इन्हीं)।

(9) मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनामों का निज-भेद उनके क्रिया-रूपों से जाना जाता है। जैसे—

• वह पढ़ रहा है।

• वह पढ़ रही है।

(10) पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ 'को' लगने पर उनके रूप में अन्तर आ जाता है। जैसे—

• मैं (को) मुझे को या मुझे।

• तू (को) तुझे को या तुझे।

• यह (को) इसको या इसे।

• ये (को) इनको या इन्हें।

• वह (को) उसको या उसे।

• वे (को) उनको या उन्हें।

(11) अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल 'मैं' की बजाय 'हम' का प्रयोग चल पड़ा है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। जैसे—

• पिता के नाते हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है।

• शांत रहिए, अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।

(12) जहाँ 'मैं' की जगह 'हम' का प्रयोग होने लगा है, वहाँ 'हम' के बहुवचन के रूप में 'हम लोग' या 'हम सब' का प्रयोग प्रचलित है।

(13) 'तुम' सर्वनाम के बहुवचन के रूप में 'तुम सब' का प्रचलन हो गया है। जैसे—

• रमेश! तुम यहाँ आओ।

• अरे रमेश, सुरेश, दिनेश! तुम सब यहाँ आओ।

(14) 'मैं', 'हम' और 'तुम' के साथ 'का', 'के', 'की' की जगह 'रा', 'रे', 'री' प्रयुक्त होते हैं। जैसे— मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे, हमारी।

(15) सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिह्न मिलाकर लिखे जाने चाहिए। जैसे— मुझको, उसने, हमसे आदि।

(16) यदि सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिह्न आते हैं तो पहला मिलाकर तथा दूसरा अलग रखा जाना चाहिए। जैसे— उनके लिए, उन पर से, हममें से, उनके द्वारा आदि।

(17) यदि सर्वनाम तथा विभक्ति चिह्न के बीच 'ही', 'तक' आदि कोई निपात आ जाता है तो विभक्ति को अलग लिखा जाएगा। जैसे— आप ही के लिए, उन तक से आदि।

♦ सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप :

कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आते हैं। ऐसे स्थलों पर अर्थ में विशिष्टता या भिन्नता आ जाती है। जैसे—

• जो—जो—जो आता जाए, उसे बिठाते जाओ।

• कोई—कोई—कोई तो बिना बात भागा चला जा रहा था।

• क्या—हमारे साथ क्या—क्या हुआ, यह न पूछो।

• कौन—मेले में कौन—कौन चलेगा?

• किस—किस—किसको भूख लगी है?

• कुछ—मुझे कुछ—कुछ याद आ रहा है।

• अपना—अपना—अपना सामान लो और चलते बनो।

• आप—यजमान आप—आप ही खाए जा रहे थे, मेहमानों की कहीं कोई पूछ नहीं थी।

• वह—जिसे मिठाई न मिली हो, वह—वह रुक जाओ।

• कहाँ—मैंने तुम्हें कहाँ—कहाँ नहीं ढूँढा।

कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

• कोई—न—कोई—रात के समय कोई—न—कोई प्रबंध अवश्य हो जायेगा।

• कुछ—न—कुछ—घबराओ नहीं, कुछ—न—कुछ गाड़ी तो चलेगी ही।

3. विशेषण

◆ परिभाषा –

संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता (गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार—प्रकार आदि) बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे— मोटा, पतला, कौन आदि।
उदाहरणार्थ—

- एक किलो चीनी लाओ।
- सफेद गाय कम दूध देती है।
- बच्चा होशियार है।
- कुछ लोग सो रहे हैं।
- मेरी कक्षा में बीस विद्यार्थी हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में एक किलो, सफेद, कम, होशियार, कुछ, बीस क्रमशः चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण हैं।

◆ विशेष्य और विशेषण –

जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य और जो विशेषता—सूचक शब्द होता है, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। जैसे—

- मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं।
- काली बिल्ली को देखो।
- दो किलो दूध लाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः 'व्यंजन', 'बिल्ली' और 'चीनी' विशेष्य तथा 'मीठे', 'काली' और 'दो किलो' शब्द विशेषण हैं। कभी—कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

- यह छात्र बुद्धिमान है।
- ये फल बहुत मीठे हैं।
- वह व्यक्ति योग्य है।
- रमेश ईमानदार है।

◆ प्रविशेषण –

जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं।

उदाहरणार्थ—

- यह लड़का बहुत अच्छा है।
(‘बहुत’ प्रविशेषण)
- आप बड़े भोले हैं।
(‘बड़े’ प्रविशेषण)
- मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ।
(‘पूर्ण’ प्रविशेषण)
- मोहनी अत्यन्त सुन्दरी है।
(‘अत्यन्त’ प्रविशेषण)
- घर बिल्कुल सुनसान था।
(‘बिल्कुल’ प्रविशेषण)
- आज बहुत अधिक सर्दी है।
(‘बहुत’ प्रविशेषण)

क्रिया—विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को भी ‘प्रविशेषण’ कहा जाता है। जैसे—

- गरिमा बहुत धीरे चलती है।
(‘बहुत’ क्रिया—प्रविशेषण)
- गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता था।
(‘बिल्कुल’ क्रिया—प्रविशेषण)
- मैं ठीक सात बजे आऊँगा।
(‘ठीक’ क्रिया—प्रविशेषण)
- मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता।
(‘बहुत अधिक’ क्रिया—प्रविशेषण)

◆ उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण –

वाक्य में विशेषण की स्थिति दो प्रकार की होती है— विशेष्य से पहले तथा विशेष्य के बाद। इस स्थिति के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं—

(1) **उद्देश्य विशेषण** – विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य—विशेषण या विशेष्य—विशेषण कहलाते हैं। स्थिति की दृष्टि से ये विशेषण वाक्य के उद्देश्य—भाग के अन्तर्गत आते हैं। जैसे—

- चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं।
- भला बालक है, मदद कर दीजिए।
- बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है।

(2) **विधेय विशेषण** – विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को ‘विधेय—विशेषण’ कहते हैं। ये विशेषण क्रिया से पहले और वाक्य के विधेय—भाग के अन्तर्गत आते हैं। जैसे—

- वह बालक चतुर है।
- सुनिता बहुत अच्छा गाती है।
- उसकी पेन्ट नीली है।
- रेखा घर की शोभा बढ़ाती है।

ध्यातय – विशेषण चाहे, ‘उद्देश्य—विशेषण’ हो, चाहे ‘विधेय—विशेषण’, दोनों ही स्थितियों में उनका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। उदाहरणार्थ—

उद्देश्य विशेषणों के रूप—

- लंबी युवती खेल रही है।
(विशेषण और विशेष्य दोनों स्त्री एकवचन)
- लंबी युवतियाँ खेल रही हैं।
(स्त्रीलिंग, विशेषण अपरिवर्तित रहता है)
- लंबा लड़का जा रहा है।
(विशेषण—विशेष्य दोनों पुरुष एकवचन)
- लंबे लड़के जा रहे हैं।
(विशेषण—विशेष्य दोनों पुरुष बहुवचन)

विधेय विशेषणों के रूप –

- वह लड़का लंबा है।
(विशेषण—विशेष्य दोनों पुरुष एकवचन)
- वे लड़के लंबे हैं।

(विशेषण—विशेष्य दोनों पुरुष बहुवचन)
• वह लड़की मोटी है।
(विशेषण—विशेष्य दोनों स्त्री. एकवचन)
• वे लड़कियाँ मोटी हैं।
(स्त्रीलिंग, विशेषण अपरिवर्तित रहता है।)

♦ विशेषण के भेद :

विशेषण के पाँच भेद होते हैं —

1. गुणवाचक विशेषण (Adjective of Quality)
2. परिमाणवाचक विशेषण (Adjective of Quantity)
3. संख्यावाचक विशेषण (Numerical Adjective)
4. सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक विशेषण (Demonstrative Adjective)
5. व्यक्तिवाचक विशेषण।

1. गुणवाचक विशेषण —

संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से सम्बन्धित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

वह मोटा आदमी है।

उसके कोट का रंग नीला है।

वह गोरी लड़की है।

इन वाक्यों में 'मोटा', 'नीला', 'गोरी' शब्द गुणवाचक विशेषण हैं।

यहाँ 'गुण' का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ 'गुण' का तात्पर्य है— किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपर्युक्त विशेषताओं का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं—

- गुणबोधक—अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी, ईमानदार, परिश्रमी, दयालु, सच्चा, सरल आदि।
- दोषबोधक—बुरा, खराब, झूठा, अशिष्ट, उद्धत, ढीठ, दुश्चरित्र, कंजूस, कामचोर, पापी, दुरात्मा, निर्दयी आदि।
- रंगबोधक—काला, पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, सुनहरा, चमकीला, हरित, रक्त, जामुनी, बैंगनी, खाकी, सुर्मई, बहुरंगी, सतरंगी, नवरंग आदि।
- कालबोधक—आधुनिक, प्राचीन, ताजा, बासी, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक आदि।
- स्थानबोधक—ग्रामीण, शहरी, भारतीय, देशी, विदेशी, बनारसी, रूसी, जापानी, चीनी, नेपाली, बाहरी, अमरोही, लुधियानवी, जयपुरी, लाहौरी, जालंधरी, इलाहाबादी आदि।
- गन्धबोधक—खुशबूदार, सुगन्धित, मधुगन्धी, साँधी, महक, बदबूदार, दुर्गन्धित, गंधहीन आदि।
- दिशाबोधक—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पश्चिमोत्तरी, पश्चिमात्य, पौवात्य, ईशानकोणीय, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि।
- अवस्थाबोधक—गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, पनीला, भुना हुआ, तला हुआ, जला हुआ, पका हुआ आदि।
- आयुबोधक—युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, अर्ध, प्रौढ़, तरुण आदि।
- दशाबोधक—रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण, भला—चंगा, तन्दुरुस्त, सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ, फटा हुआ, नया, पुराना आदि।
- आकारबोधक—छोटा, बड़ा, मोटा, लम्बा, डिगना, बोना, गोल, ऊँचा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर, षट्कोण, अण्डाकार, त्रिभुज, सर्पाकार, गोलाकार, वृत्ताकार आदि।
- स्पर्शबोधक—कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नर्म, सख्त, ठण्डा, गर्म, चिकना, स्निग्ध आदि।
- स्वादबोधक—खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, कसैला आदि।

2. परिमाणवाचक विशेषण —

जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप—तोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— कुछ, थोड़ा, सब आदि।

• मैं प्रतिदिन चार लीटर दूध लाता हूँ।

• वह बाद में कुछ घी खाता है।

यहाँ चार लीटर दूध का माप है। कुछ घी का माप है। इन दोनों वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है। इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं।

परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं—

(1) निश्चित परिमाणवाचक—

जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— पाँच किलो, दस विक्टल, एक तोला सोना, दो मीटर कपड़ा, दस ग्राम सोना आदि।

(2) अनिश्चित परिमाणवाचक—

जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, पचासों मन गेहूँ, तनिक अचार, जरा—सा नमक आदि।

3. संख्यावाचक विशेषण —

जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु (संज्ञा या सर्वनाम) की संख्या से सम्बन्धित विशेषता का बोध कराएँ, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— तीसवाँ, साढ़े चार, प्रत्येक, कम, सब आदि।

संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

(क) निश्चित संख्यावाचक—

जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे— पहला, तीसरा, पाँच छात्र, सात किताबें आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित उपभेद होते हैं—

(i) गणनावाचक—

जिनसे अंक या गिनती का ज्ञान हो। जैसे— एक, पाँच, दस, बारह, आधा, चौथाई, सवा पाँच, साढ़े सात आदि। गणना वाचक विशेषण के भी दो भेद किए जा सकते हैं—

(अ) अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण—

1/4 (पाव), 1/2 (आधा), 1-1/4 (सवा), 1-1/2 (डेढ़), 1-3/4 (पौने दो), 2-1/2 (ट्वाई), 3-1/2 (साढ़े तीन) आदि विशेषण अपूर्ण संख्याबोधक हैं।

(ब) पूर्ण संख्यावाचक विशेषण—

एक, दो, तीन आदि पूर्ण संख्याबोधक हैं।

(ii) क्रमवाचक—

जिस विशेषण से क्रम का ज्ञान हो, उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— पहला, तीसरा, चौथा, छठा, आठवाँ आदि।

(iii) आवृत्तिवाचक—

जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की तहों या गुणन का बोध हो अथवा जिससे यह ज्ञात होता है कि संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना है। जैसे— दुगुना, चौगुना, पाँच गुना, इकहरा, दुहरा, तिहरा आदि।

(iv) समुदायवाचक—

जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— दोनों, तीनों, पाँचों, आठों, दसों, तीनों—के—तीनों, सभी, सब—के—सब आदि।

(v) समुच्चयवाचक—

संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे— दर्जन, युग्म, जोड़ा, पच्चीसी, चालीसा, शतक, सैंकड़ा, सतसई आदि।

(vi) भिन्नतावाचक—

जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम (विशेष्य) की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— प्रत्येक, हरेक, हर मास, हर वर्ष, एक—एक, चार—चार आदि।

(ब) अनिश्चित संख्यावाचक—

जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते, बल्कि उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— कुछ छात्राएँ, थोड़े—से गाँव, अधिक लड़के, काफी धन, कई लोग, बहुत—सा पैसा, हजारों आदमी, पाँच—छः दर्शक आदि।

वाक्य—प्रयोग—

- कुछ बच्चे खेल रहे हैं।
- तुम्हारी थैली में बहुत संतरे हैं, मेरी में थोड़े।
- रैली में हजारों लोग पहुँचे।
- गुंडों ने सैकड़ों दुकानें फूँक डाली।
- वहाँ कोई पाँच सौ खिलाड़ी होंगे।

परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अन्तर :

यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु हो तो, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे—

- मोहित दस केले खा गया।
(संख्यावाचक)
- मोहित दो किलो दूध पी गया।
(परिमाणवाचक)
- मैंने अधिक सेब खा लिए।
(संख्यावाचक)
- कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना।
(परिमाणवाचक)
- थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
(संख्यावाचक)
- थोड़ा धी लाया हूँ।
(परिमाणवाचक)

4. सार्वनामिक विशेषण—

जो सर्वनाम, अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— ये, वे, कौन, उस आदि।

- यह मेरी पुस्तक है।
- कोई व्यक्ति गा रहा है।
- कौन लोग आये थे?
- वह मकान अच्छा है।
- इन छात्रों को पुस्तकें दो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'यह', 'कोई', 'कौन', 'वह' और 'इन' शब्द क्रमशः 'पुस्तक', 'व्यक्ति', 'लोग', 'मकान' और 'छात्रों' की ओर संकेत करते हैं अथवा उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं।

सार्वनामिक विशेषण के चाय भेद हैं—

(1) निश्चयवाचक/संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण—

- ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे—
- यह किताब उठा दो।
- उस घर को देखो।

(2) अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण—

- ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे—
- कोई आदमी आपसे मिलने आया है।
- किसी से कुछ मत लेना।

(3) प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण—

- ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे—
- कौन—सी फिल्म देखोगे?
- कौन लड़की गा रही है?
- किस पुस्तक को पढ़ें?
- क्या वस्तु लाकर मैं उसे प्रसन्न कर सकता हूँ?

(4) सम्बन्धवाचक सार्वनामिक विशेषण—

- ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं। जैसे—
- जो बोया है, वही तो काटोगे।
- जो आदमी कल आया था, वह बाहर खड़ा है।
- जिस कार्य को करना न हो, उस पर विचार करना मूर्खता है।

♦ सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अन्तर :

यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा और यदि अकेले (संज्ञा के स्थान पर) प्रयुक्त हो, तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे—

- यह आम पका है और वह कच्चा।
(‘यह’ सार्वनामिक विशेषण है और ‘वह’ सर्वनाम।)
- यह लड़का बहुत चालाक है।

(सार्वनामिक विशेषण)

- यह काफी कमजोर है।

(सर्वनाम)

- उस घर में मेरा मित्र रहता है।

(सार्वनामिक विशेषण)

- उसने मुझे बुलाया है।

(सर्वनाम)

5. व्यक्तिवाचक विशेषण—

व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनन वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे— कश्मीरी, जापानी, भारतीय, नेपाली आदि।

- हम राजस्थानी हैं।

- मैं भारतीय नागरिक हूँ।

- रमेश धनवान (धनी) आदमी है।

- नागौरी बैल अच्छे होते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में 'राजस्थानी', 'भारत' से 'भारतीय', 'धन' से 'धनवान (धनी)' और 'नागौर' से 'नागौरी' विशेषण बने हैं। राजस्थान, भारत, धन और नागौर व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

♦ विशेषणों की तुलना :

विशेषणों में तुलनात्मक स्थियाँ आती हैं। यद्यपि हिन्दी में विशेषताओं की तुलनात्मक कमी या अधिकता प्रकट करने के लिए अलग से अपने शब्द नहीं हैं। जो भी तुलनात्मक शब्द हैं, वे संस्कृत या उर्दू के हैं। हिन्दी में तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए 'से कम', 'से अधिक', 'सबसे बढ़कर', 'सर्वाधिक न्यून' आदि प्रविशेषणों का प्रयोग किया जाता है।

तुलना के आधार पर विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था।

(1) मूलावस्था —

विशेषण सामान्य रूप से जिस मूल रूप में रहता है, उसे मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे — सुन्दर, अधिक, श्रेष्ठ, लघु आदि।

- अरुण अच्छा लड़का है।

- काली गाय चर रही है।

- आपका चित्र सुन्दर है।

(2) उत्तरावस्था —

जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाये और उनमें से किसी एक को अधिक या कम बतलाया जाये, वहाँ उत्तरावस्था होती है। जैसे — सुन्दरतर, श्रेष्ठतर, अधिकतर, लघुतर आदि।

- अरुण राजीव से अच्छा है।

- वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है।

- आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर है।

- मोहिनी, उर्वशी की तुलना में रूपवती है।

ध्यान देने योग्य है कि उत्तरावस्था में दो विशेष्य होते हैं। उनमें तुलना प्रकट करने के लिए से बढ़कर, से घटकर, से कम, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले, से अधिक आदि वाचकों का प्रयोग होता है।

(3) उत्तमावस्था —

जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ अथवा कम बतलाया जाये तब वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे— सुन्दरतम, श्रेष्ठतम, अधिकतम, लघुतम आदि। इसमें सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे कम, सभी में आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे —

- माला, सबसे चतुर लड़की है।

- हिमालय सर्वाधिक ऊँचा पर्वत है।

- राजस्थान में माउण्ट आबू सर्वाधिक ठण्डा स्थान है।

♦ तुलनाबोधक प्रत्यय —

हिन्दी में अपने तुलनात्मक प्रत्यय नहीं हैं। अतः संस्कृत शब्दों के साथ संस्कृत के प्रत्यय 'तर' और 'तम' प्रयुक्त होते हैं तथा उर्दू शब्दों के साथ उर्दू के प्रत्यय 'तर' तथा 'तरीन' प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था

अधिक अधिकतर अधिकतम

उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम

उच्च उच्चतर उच्चतम

कुटिल कुटिलतर कुटिलतम

गुरु गुरुतर गुरुतम

दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम

दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम

निकट निकटतर निकटतम

निकृष्ट निकृष्टतर निकृष्टतम

निम्न निम्नतर निम्नतम

न्यून न्यूनतर न्यूनतम

महान महत्तर महत्तम

मधुर मधुरतर मधुरतम

मृदु मृदुतर मृदुतम

लघु लघुतर लघुतम

बृहत् बृहत्तर बृहत्तम

श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम

सुंदर सुंदरतर सुंदरतम

समीप समीपतर समीपतम

उर्दू-फारसी के तुलनात्मक प्रत्यय—

अच्छा बेहतर बेहतरीन

कम कमतर कमतरीन

बद बदतर बदतरीन

♦ विशेषण शब्दों के रूपांतर :

विशेषण शब्दों में तीन कारणों से रूपान्तर होते हैं—लिंग, वचन और कारक के कारण। कुछ आकारांत विशेषणों में लिंग और वचन संबंधी परिवर्तन विशेष्य के अनुसार

होता है। जैसे –

- काला कौआ, काली गाय, काले घोड़े।
- छोट बच्चा, छोटी बच्ची, छोटे बच्चे।
- मैला कपड़ा, मैली चादर, मैले बर्तन।

विभक्ति से युक्त विशेष्य और संबोधन कारक के साथ आकारांत विशेषण में 'आ' का 'ए' हो जाता है। जैसे –

- लंबे लड़कों को पीछे बिठाओ।

(लंबा का लंबे)

- काले घोड़ों को दौड़ाओ।

(काला का काले)

- पीले कपड़े पहन लो।

(पीला का पीले)

- ऐ छोटे बच्चे, बैठ जाओ।

(छोटा का छोटे)

- बुरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।

(बुरा का बुरे)

आकारांत विशेषणों के अतिरिक्त अन्य विशेषण यथावत् रहते हैं। उनका रूप—परिवर्तन नहीं होता। जैसे –

- कीमती हार, कीमती गुड़िया, कीमती कपड़े।
- मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिकाएँ, मासिक चंदे।
- ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारतें।
- योग्य लड़का, योग्य लड़के, योग्य लड़की।
- रोगी बच्चे, रोगी स्त्री, रोगी व्यक्ति।

कुछ तत्सम विशेषणों को स्त्रीलिंग रूपों में ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे –

- बुद्धिमती नारी (बुद्धिमान का प्रयोग गलत है)
- विदुषी कन्या (विद्वान नहीं लिखा जाता)
- रूपवती पत्नी (रूपवान नहीं लिखा जाता)

इसी प्रकार स्त्रीलिंग रूपों के साथ धनवती, गुणवती, ज्ञानवती आदि शब्दों के स्थान पर क्रमशः धनवान, गुणवान, ज्ञानवान आदि लिखना अनुपयुक्त है।

कई बार विशेषणों को ही संज्ञा—रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे –

- बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
- छोटों को प्यार देना चाहिए।
- वीरों की पूजा कौन नहीं करता?
- सज्जनों की संगति से मौत भी टल सकती है।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः बड़ों, छोटों, वीरों तथा सज्जनों शब्द संज्ञा की तरह ही प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये संज्ञा शब्द माने जाएँ और संज्ञा के समान ही इनके लिंग, वचन और कारक का प्रयोग होगा।

♦ विशेषणों की रचना :

हिन्दी में मूल रूप में विशेषण शब्द बहुत कम हैं। कुछ मूल विशेषण हैं— बुरा, अच्छा, लम्बा, बड़ा आदि। अधिकांश विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण उन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। व्युत्पन्न विशेषणों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होता है।

1. उपसर्गों से विशेषण रचना—

- शब्द में 'अ' जोड़कर—अयोग्य, अबोध, असमर्थ, अविकसित, अविचल।
- 'स' जोड़कर—सबल, सफल, संपूत, सजीव, सचित्र, सजल।
- 'निः' जोड़कर—निर्भय, निर्गुण, निर्दोष, निर्लज्ज, निर्मम, निर्विकार।
- 'नि' जोड़कर—निडर, निकम्मा, निपूती।
- 'दु' जोड़कर—दुबला, दुधारा, दुर्दिन।
- 'बे' जोड़कर—बेकसूर, बेईमान, बेहोश, बेवकूफ, बेवजह।
- 'ला' जोड़कर—लावारिस, लाईलाज, लापता, लाचार।

2. प्रत्ययों से विशेषण रचना—

- इतिहास+इक = ऐतिहासिक
- समाज+इक = सामाजिक
- रंग+इला = रंगीला
- ज्ञान+वती = ज्ञानवती
- मद+अक = मादक
- बुद्धि+मान = बुद्धिमान
- सुख+द = सुखद
- बल+शाली = बलशाली
- चाय+वाला = चायवाला।

3. उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण रचना—

- अप+मान+इत = अपमानित
- न+अस्ति+क = नास्तिक
- अन+आचार+ई = अनाचारी
- अन+आत्मा+इक = अनात्मिक
- अ+धर्म+इक = अधार्मिक
- अ+न्याय+ई = अन्यायी।

4. संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण—

अधिकांश विशेषण संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न होते हैं। जैसे—

संज्ञा शब्द — विशेषण

- जयपुर—जयपुरी
- लखनऊ—लखनवी
- अलीगढ़—अलीगढ़ी

- आदर—आदरणीय
- नमक—नमकीन
- नगर—नागरिक
- ग्राम—ग्रामीण
- शहर—शहरी
- अंक—अंकित
- दिन—दैनिक
- गाना—गायक
- खेद—खिन्न
- पुष्प—पुष्पित
- फल—फलित
- चाचा—चचेरा
- दूध—दुधारू
- नाव—नाविक।

5. सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण—

- जो—जैसा
- यह—ऐसा
- वह—वैसा
- अहं—अहंकार
- तुम—तुम-सा
- आप—आप-सा
- उस—उस-सा
- मैं—मुझ-सा।

6. क्रिया से व्युत्पन्न विशेषण—

- भागना—भागड़ा
- भूलना—भुलकाड़
- पढ़—पठित
- हँसना—हँसोड़
- चलना—चालू
- दिखाना—दिखावटी।

7. अव्यय से व्युत्पन्न विशेषण—

- बाहर—बाहरी
- भीतर—भीतरी
- आगे—अगला
- पीछे—पिछला
- ऊपर—ऊपरी
- नीचे—निचला।

हिंदी में प्रचलित विशेषण

शब्द — विशेषण

- अंक—अंकित
- अंश—आंशिक
- अधर्म—अधर्मी
- अध्यात्म—आध्यात्मिक
- अनुकरण—अनुकरणीय
- अनुवाद—अनूदित, अनुवादित
- अवलंब—अवलंबित
- अध्ययन—अध्ययनीय, अध्येता, अध्येय
- अतिथि—आतिथेय
- अर्थ—आर्थिक
- आत्म—आत्मिक, आत्मीय
- आलस—आलसी
- आदर—आदरणीय
- आश्रय—आश्रित
- आमोद—आमोदित
- आप—आपसी
- आवरण—आवृत्त
- आदि—आदिम
- आयोग—आयुक्त
- आयु—आयुष्मान्
- आविष्कार—आविष्कृत
- आस्वाद—आस्वादित
- इतिहास—ऐतिहासिक
- ईर्ष्या—ईर्ष्यालु
- ईश्वर—ईश्वरीय
- उत्साह—उत्साही
- उदर—उदरस्थ
- उल्लास—उल्लासित
- उत्कंठा—उत्कंठित
- उपासना—उपासक

- उर्मि—उर्मिल
- ऊपर—ऊपरी
- ऋण—ऋणी
- ओज—ओजस्वी
- कंटक—कंटकित
- कर्तव्य—कर्तव्य परायण
- कल्पना—काल्पनिक
- कलंक—कलंकित
- करुणा—कारुणिक
- कर्म—कर्मठ, कर्मशील
- क्रम—क्रमिक
- काँटा—कँटीला
- काम—कामुक
- काल—कालिक
- कुल—कुलीन
- कृपा—कृपालु
- खेल—खिलाड़ी
- गति—गतिमान
- ग्राम—ग्रामीण
- गुण—गुणी, गुणवान
- गाँव—गँवार
- घर—घरेलू
- चमक—चमकीला
- चलता—चलायमान
- चाचा—चचेरा
- चाल—चालू
- चिँता—चिँतित
- चित्र—चित्रित
- चिकित्सा—चिकित्सक
- चिह्न—चिह्नित
- छंद—छंदोमय
- जटा—जटिल
- जल—जलमय
- जघन—जघन्य
- ज्योति
- जाति—जातीय
- जीव—जैविक
- जोश—जोशीला
- झगड़ा—झगड़ालू
- तट—तटीय, तटस्थ
- तत्त्व—तात्त्विक
- तप—तपस्वी
- तर्क—तार्किक
- तरंग—तरंगित
- तिरोधान—तिरोहित
- त्वरा—त्वरित
- दया—दयायु
- द्रव—द्रवित
- दान—दानी, दाता
- दिन—दैनिक
- दुःख—दुःखी
- देखना—दिखावटी
- देव—दैविक
- देह—दैहिक
- धन—धन्य, धनी, धनिक, धनवान
- धर्म—धार्मिक
- ध्यान—ध्येय
- ध्वनि—ध्वनित
- धूस—धूमिल
- नगर—नागरिक
- नमक—नमकीन
- नाव—नाविक
- नागपुर—नागपुरी
- नास्ति—नास्तिक
- नाम—नामिक, नामी
- निँदा—निँदक
- नियंत्रण—नियंत्रित
- निमीलन—निमीलित
- निमित्त—नैमित्तिक
- निसर्ग—नैसर्गिक
- नीचे—निचला
- नीति—नैतिक
- पंक—पंकिल
- पक्ष—पाक्षिक
- पठन—पठित

- पत्थर—पथरीला
- परलोक—पारलौकिक
- परितोष—पारितोषिक
- पल्लव—पल्लवित
- प्यास—प्यासा
- पानी—पानीय
- पाठ—पाठ्य, पठनीय
- पिशाच—पैशाचिक
- पुत्र—पुत्रवान
- पुरा—पुरातन
- पुरुष—पौरुषेय, पुरुषार्थ
- पुष्प—पुष्पित
- पूजा—पूज्य, पूजनीय
- पूर्व—पूर्वी
- पेट—पेटू
- प्रत्याशा—प्रत्याशित
- प्रभाव—प्रभावित
- प्रभा—प्रभामय
- प्रमाण—प्रमाणित, प्रामाणिक
- प्रलय—प्रलयंकर
- प्रांत—प्रांतीय
- प्रातःकाल—प्रातःकालीन
- फेन—फेनिल
- बंक—बंकिम
- बल—बली, बलवान
- बढ़ना—बड़ा
- बाधा—बाधित
- बुद्धि—बुद्धिमान, बौद्धिक
- बुभुक्षा—बुभुक्षित
- बचना—बिकाऊ
- बाहर—बाहरी
- भय—भयानक, भयभीत, भयंकर
- भार—भारित, भारी
- भागना—भगोड़ा
- भारत—भारतीय
- भीतर—भीतरी
- भूत—भौतिक
- भूलना—भूलकड़ा
- भूमि—भौमिक
- भूगोल—भौगोलिक
- भेद—भेदी, भेदक
- मद—मादक
- मन—मनस्वी
- मध्य—मध्यस्थ
- मर्यादा—मर्यादित
- मर्म—मार्मिक
- मधु—मधुर
- मानस—मानसिक
- मानव—मानवीय
- मास—मासिक
- मुख—मुखर
- मुखर—मुखरित
- मूर्धा—मूर्धन्य
- मूल—मौलिक
- मृत्यु—मृत, मृतक
- मुटु—मुटुल
- यदु—यादव
- यज्ञ—याज्ञिक
- युग—युगीन
- यूरोप—यूरोपीय
- रक्त—रक्तितम
- रस—रसिक, रसमय, रसीला
- रश्मि—रश्मिल
- राष्ट्र—राष्ट्रीय
- रुचि—रुचिर
- रूप—रूपवान
- रेत—रेतीला
- रोग—रोगी
- रोम—रोमिल
- रोमांच—रोमांचित
- लय—लीन
- लाठी—लठैत
- लालच—लालची
- लिपि—लिपिबद्ध
- लेख—लिखित

- वन—वन्य
- वश—वश्य
- वर्ष—वार्षिक
- वह—वैसा
- वायु—वायवी, वायव्य
- विदेश—विदेशी
- विष—विषैला
- विस्मय—विस्मित
- विश्वास—विश्वासी, विश्वस्त
- विधि—वैधानिक
- विकार—विकारी
- विष्णु—वैष्णव
- वेद—वैदिक
- शर्म—शर्मीला
- शकुन—शकुनी
- शक्ति—शक्तिशाली, शक्तिमान
- शब्द—शाब्दिक
- शाप—शापित
- शास्त्र—शास्त्रीय
- शिव—शैव
- शीत—शीतल
- शोभा—शोभित
- श्रम—श्रमिक
- श्रद्धा—श्रद्धालु
- श्रवण—श्रोता
- श्री—श्रीमती, श्रीमान्
- संकेत—सांकेतिक
- संचय—संचित
- संप्रदाय—संप्रदायिक
- संयम—संयमित
- संयोग—संयुक्त
- संस्कृति—सांस्कृतिक
- समाज—सामाजिक
- सप्ताह—साप्ताहिक
- सत्य—सत्यवान
- समुदाय—सामुदायिक
- समीप—समीपस्थ
- सर्वजन—सार्वजनिक
- सीमा—सीमित
- सुख—सुखद, सुखमय
- सुरभि—सुरभित
- सेवा—सेवक, सेव्य
- सोना—सुनहरा
- स्त्री—स्त्रेण
- स्व—स्वकीय
- स्मृति—स्मार्त
- स्वर्ग—स्वर्गीय
- स्पर्श—स्पर्श्य
- स्वाद—स्वादिष्ट
- स्वप्न—स्वप्निल
- स्थान—स्थानीय
- स्वास्थ्य—स्वस्थ
- स्तुति—स्तुत्य
- हँसना—हँसोड़
- हृदय—हार्दिक
- हिँसा—हिँस्र
- हिम—हिमवान
- क्षय—क्षीण
- क्षत्रिय—क्षत्र
- क्षुधा—क्षुधित
- त्रास—त्रस्त, त्रासदी
- त्रुटि—त्रुटिपूर्ण
- ज्ञान—ज्ञानी।

4. क्रिया

◆ परिभाषा—

जिन शब्दों से किसी कर्म (कार्य) के होने या करने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे—

- राम खाना खाता है।
- रेखा खेल रही है।
- वह बम्बई गया।
- नदी बह रही थी।
- मोहिनी गाती है।

• पुस्तक मेज पर है।

• गर्मी हो रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'खाता है', 'खेल रही है', 'गया', 'बह रही थी', 'गाती है', 'पर है', 'हो रही है' क्रिया बोधक शब्द हैं।

क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य—रचना संभव नहीं है। क्रिया के बिना वाक्यांश हो सकता है, वाक्य नहीं। कई बार क्रिया प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है। जैसे—

• बहुत सुंदर।

• दिल्ली।

• अवश्य।

• रोटी।

इन अपूर्ण वाक्यों में क्रियाएँ छिपी हुई हैं। 'बहुत सुन्दर' का अर्थ— यह बहुत सुन्दर है अथवा यह बहुत सुन्दर हुआ है। या यह बहुत सुन्दर किया है।

'अवश्य' का अर्थ है— अवश्य जाऊँगा/आऊँगा/खाऊँगा/गया था/जाता हूँ आदि।

'दिल्ली' का तात्पर्य है— दिल्ली गया था/जाऊँगा आदि। 'रोटी' का आशय है— रोटी खाई थी/रोटी खाएँगे आदि।

♦ क्रिया का निर्माण—

क्रिया का निर्माण धातु से होता है। 'धातु' वह मूल शब्द है, जिससे क्रिया पद का गठन होता होता है। जैसे— लिखना—लिख धातु, ना प्रत्यय। पढ़ना—पढ़ धातु, ना प्रत्यय।

♦ क्रिया के सामान्य रूप—

मूल धातु में 'ना' प्रत्यय लगाकर प्रयुक्त किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। जैसे— पढ़+ना = पढ़ना, लिख+ना = लिखना, खेल+ना = खेलना, पी+ना = पीना, चल+ना = चलना, खा+ना = खाना आदि।

♦ धातु —

क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। जैसे— आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, चल, हँस, गा, सो, सक, खेल, देख, सुन, बैठ आदि।

ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप हैं। इसलिए इन्हें क्रियामूल भी कहते हैं। इनसे अनेक क्रियाएँ बनती हैं। जैसे— लिख से लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूँ, लिखूँगा, लिखेंगे, लिखी थी आदि।

♦ मूल धातु की पहचान —

मूल धातु आज्ञार्थक रूप में 'तू' के साथ प्रयुक्त होती है। जैसे— तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू पी, तू जा, तू खेल, तू हँस, तू गा आदि।

इस प्रकार मूल धातुओं की पहचान हो सकती है।

♦ धातु के रूप —

धातु के निम्नलिखित पाँच भेद हैं—

1. सामान्य धातु — मूल धातु में 'ना' प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप 'सामान्य धातु' कहलाते हैं। जैसे— सोना, पढ़ना, आना, जाना, लिखना, तैरना आदि। इन्हें सरल धातु भी कहा जाता है।

2. व्युत्पन्न धातु — जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है, उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे—

सामान्य धातु—व्युत्पन्न धातु

पीना—पिलाना, पिलवाना

देना—दिलाना, दिलवाना

रोना—रुलाना, रुलवाना

सोना—सुलाना, सुलवाना

उठना—उठाना, उठवाना

कटना—काटना, कटाना, कटवाना

उड़ना—उड़ाना, उड़वाना।

3. नामधातु — संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः नाम धातुओं में 'अ' प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे—

• संज्ञा शब्दों से—लालच—ललचाना, शर्म—शर्माना, हाथ—हथियाना, बात—बतियाना, लात—लतियाना, फिल्म—फिल्माना।

• विशेषण शब्दों से—चिकना—चिकनाना, गर्म—गरमाना, लँगड़ा—लँगड़ाना, दुहरा—दुहराना।

• सर्वनाम शब्दों से—आप—अपनाना।

4. सम्मिश्र धातु — संज्ञा, विशेषण और क्रिया—विशेषण शब्दों के पश्चात् 'करना' या 'होना' क्रिया—पद लगाकर बनने वाले धातु रूप 'सम्मिश्र धातु' कहलाते हैं। जैसे—

काम करना, काम होना, उत्तम करना, उत्तम होना, धीरे करना, धीरे होना आदि।

कुछ अन्य सहायक क्रिया—पदों से बनने वाले सम्मिश्र धातु—

• करना—नाम करना, छेद करना, हत्या करना।

• होना—नाम होना, छेद होना, हत्या होना।

• खाना—मार खाना, रिश्त खाना, हवा खाना।

• देना—दर्शन देना, कष्ट देना, धन्यवाद देना।

• आना—काम आना, पसंद आना, नजर आना।

• जाना—भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना।

• मारना—चक्कर मारना, डींग मारना, झपट्टा मारना।

5. अनुकरणात्मक धातु — ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएँ अनुकरणात्मक कहलाती हैं। जैसे—

भिनभिन—भिनभिनाना, हिनहिन—हिनहिनाना, खटखट—खटखटाना, टनटन—टनटनाना, झनझन—झनझनाना।

♦ क्रिया के भेद —

अर्थ के आधार क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं— 1. सकर्मक क्रिया, 2. अकर्मक क्रिया।

1. सकर्मक क्रिया —

जिस क्रिया के व्यापार (कार्य) का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म अवश्य होता है। जैसे—

• मोहन ने खाना खाया।

• सीता ने पत्र पढ़ा।

इन दोनों वाक्यों में 'खाया' और 'लिखा' शब्दों का फल मोहन और सीता पर न पड़कर 'खाना' और 'पत्र' पर पड़ रहा है। अतः ये दोनों सकर्मक क्रियाएँ हैं। अन्य उदाहरण—

• अनुराग ने फल खरीदे।

• राम ने रावण को मारा।

• बच्चे सीरियल देख रहे हैं।

• बालिका निबन्ध लिख रही है।

• डॉक्टर बीमारी दूर करता है।

- कुछ वाक्यों में 'कर्म' उपस्थित नहीं होता, परन्तु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसी क्रिया भी सकर्मक कहलाती है। जैसे—
- राम पढ़ता है।
 - सुधा खेल रही है।
- इन वाक्यों में राम 'क्या' पढ़ रहा है और सुधा 'क्या' खेल रही है—ये आवश्यकताएँ बनी हुई हैं। इसलिए कर्म के न होने पर भी ये सकर्मक क्रियाएँ हैं।

◆ सकर्मक क्रिया के भेद —

सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं— पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया।

(1) पूर्ण सकर्मक क्रियाएँ—

जो क्रियाएँ कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं, पूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। इस क्रिया के भी दो भेद होते हैं—

(अ) पूर्ण एककर्मक क्रियाएँ—

जो क्रिया एक कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं, वह पूर्ण एककर्मक क्रिया कहलाती है। एक ही कर्म होने के कारण इसे 'एक कर्मक' तथा पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होने के कारण 'पूर्ण' कहा जाता है। जैसे—

- वाल्मीकि ने रामायण लिखी।
- राजू ने टी.वी. खरीदा।
- मैंने फिल्म देखी।

(ब) पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएँ—

जो क्रियाएँ दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूर्ण अर्थ प्रदान करती हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रियाएँ कहा जाता है। जैसे—

- मालिक ने नौकर को पानी दिया।
 - (इसमें 'दिया' क्रिया के दो कर्म हैं— नौकर तथा पानी)
 - मोहन ने सोहन को पुस्तक दी।
 - ('दी' क्रिया के कर्म— सोहन तथा पुस्तक।)
 - मैंने अपने मित्र की भरपूर सहायता की।
 - ('की' क्रिया के कर्म— मित्र और सहायता।)
 - नौकर को कुत्ते को दूध पिलाया।
 - ('पिलाया' क्रिया के कर्म— कुत्ता और दूध।)
 - थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है।
 - ('पकड़वाता' क्रिया के कर्म— सिपाही तथा चोर।)
 - पिताजी ने हमें कुछ पैसे दिए।
 - ('दिए' क्रिया के कर्म— हमें तथा पैसे।)
- अतः ये सभी क्रियाएँ द्विकर्मक हैं।

◆ मुख्य कर्म और गौण कर्म—

प्रायः मुख्य कर्म—

1. क्रिया के समीप रहता है।
2. विभक्ति रहित होता है।
3. अप्राणिवाचक होता है।

गौण कर्म प्रायः—

1. क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है।
2. विभक्ति सहित होता है।
3. प्राणिवाचक होता है।

(2) अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ—

जिन क्रियाओं का आशय कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक (संज्ञा या विशेषण) की आवश्यकता है वे 'अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ' होती हैं। जैसे— मैं तुझे समझता हूँ, यह अपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं— मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ। अतः 'समझना' अपूर्ण सकर्मक क्रिया है।

अन्य उदाहरण—

- तुम मुझे (पत्र) अवश्य लिखना।
- वह (डॉक्टर) बनकर दिखाएगा।
- वे हमारे (गुरु) थे।
- मैं तुम्हें अपना (भाई) मानता हूँ।
- हमने उसे (प्रतिनिधि) चुना।

प्रायः चुनना, मानना, समझना, बनाना ऐसी क्रियाएँ हैं, जिनमें कर्म के सिवाय एक पूरक की भी आवश्यकता बनी रहती है।

2. अकर्मक क्रियाएँ—

जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार (कार्य) का फल कर्त्ता पर ही पड़ता है, वे 'अकर्मक क्रियाएँ' कहलाती हैं। जैसे—

- मोहन खेलता है।
- बन्दर आया।

इन वाक्यों में 'खेलता है' और 'आया' क्रिया शब्दों का फल कर्त्ता मोहन और बन्दर पर पड़ रहा है, किसी कर्म पर नहीं। अतः ये दोनों अकर्मक क्रियाएँ हैं।

कुछ अकर्मक (धातु) क्रियाएँ :

शरमाना, ठहरना, होना, जागना, बढ़ना, क्षीण होना, कूदना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, अच्छा लगना, बरसना, चमकना, बैठना, उठना, दौड़ना, उगना, अकड़ना, उछलना।

हिन्दी में कुछ क्रियाओं का सकर्मक तथा अकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। जैसे—

- अकर्मक—बूँद—बूँद से बाल्टी भरती है।
- सकर्मक—नौकरानी नल पर बाल्टी भरती है।
- अकर्मक—उसका सिर खुजला रहा है।
- सकर्मक—वह अपने सिर को खुजला रहा है।
- अकर्मक—बहू लजाती है।
- सकर्मक—अब उसे और न लजाओ।

जो नाम अर्थात् संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, वे नामधातु कहलाते हैं। नाम धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है, उसे नामधातु क्रिया कहते हैं। जैसे—

नाम धातु क्रिया का निर्माण चार प्रकार से होता है—

- (i) संज्ञा शब्द से—लाज से लजाना, हाथ से हथियाना।
- (ii) विशेषण शब्द से—मोटा से मुटाना, नरम से नरमाना।

(iii) सर्वनाम शब्द से—अपना से अपना।

(iv) अनुकरणवाची शब्द से—हिनहिन से हिनहिनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना।

(3) प्रेरणार्थक क्रिया—

जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे— मोहन, बरखा से पत्र लिखवाता है। यहाँ 'लिखवाता है' प्रेरणार्थक क्रिया है। 'मोहन' प्रेरक कर्ता और 'बरखा' प्रेरित कर्ता है।

प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार से बनती है—(1) अकर्मक क्रिया से (2) सकर्मक क्रिया से। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बनने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया की दो श्रेणियाँ हैं—(1) प्रथम प्रेरणार्थक (2) द्वितीय प्रेरणार्थक।

◆ प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम :

(I) अकर्मक से सकर्मक—

मूल धातु के अन्त में 'आ' जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक (सकर्मक) और 'वा' जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक (द्विकर्मक) क्रिया बनती है। जैसे—

- चमक से चमकाना, चमकवाना।
- लड़ना से लड़ाना, लड़वाना।

(II) सकर्मक धातुओं से द्विप्रेरणार्थक—

जैसे— काटना से कटाना, कटवाना। पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना।

(4) कृदन्त क्रिया—

जो क्रियाएँ शब्दों के अन्त में शब्दांश जोड़कर बनायी जाती हैं, वे कृदन्त क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे— देखता, देखा, देखकर आदि।

(5) पूर्वकालिक क्रिया—

यदि किसी क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया आए, अर्थात् जहाँ एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया का मूल रूप होती है या उसके साथ 'कर' या 'करके' का प्रयोग होता है। जैसे— वह अभी सोकर उठा है। इस वाक्य में 'उठा है' क्रिया के पूर्व 'सोकर' क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः 'सोकर' पूर्वकालिक क्रिया है।

(6) आज्ञार्थक या विधि क्रिया—

जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के बोध के लिए किया जाता है, तो वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे—

- इधर आओ।
- उधर मत जाओ।
- पुस्तक पढ़ो।
- बाग में चलो।
- बड़ों का आदर करना चाहिए।

◆ समापिका एवं असमापिका क्रियाएँ :

(1) समापिका क्रियाएँ —

समापिका क्रियाएँ वाक्य के अन्त में रहकर वाक्यों को समाप्त करती हैं। जैसे—

- चिड़िया आकाश में उड़ती है।
 - मोहन पार्क में दौड़ रहा है।
 - विनोद सुबह नाश्ते में चाय पिएगा।
 - हिमालय की बर्फ पिघल रही थी।
 - उपदेशों पर चला करो।
 - मैं उठकर जा रहा हूँगा।
- उपर्युक्त वाक्यों में 'उड़ती है', 'दौड़ रहा है', 'पिएगा', 'पिघल रही थी', 'चला करो' तथा 'जा रहा हूँगा' समापिका क्रियाएँ हैं।

(2) असमापिका क्रियाएँ—

जो क्रियाएँ वाक्य के अन्त में न आकर वाक्य में अन्यत्र कहीं प्रयुक्त होती हैं, उन्हें असमापिका क्रियाएँ कहते हैं। जैसे— डाल पर चहचहाती हुई चिड़ियाँ कितनी सुन्दर हैं। यहाँ 'चहचहाती हुई' असमापिका क्रिया है। यह क्रिया वाक्य का अंत करके 'चिड़ियाँ' का विशेषण बनकर प्रयुक्त हुई है।

कुछ अन्य उदाहरण—

- जंगल में दौड़ता हुआ हिरण कैसा मनोरम है?
- बहता हुआ गंगाजल किसे नहीं भाता?
- गुरुजी को खड़े होकर प्रणाम करो।

◆ असमापिका क्रियाओं का विवेचन—

असमापिका क्रियाओं के अनेक भेद हैं। उनका विवेचन तीन दृष्टियों से किया जाता है—

1. रचना की दृष्टि से—

रचना की दृष्टि से असमापिक क्रियाओं की रचना चार प्रकार के प्रत्ययों से होती है—

- (1) अपूर्ण कृदन्त—ता, ते, ती; जैसे— बहता, जाता, भागते, दौड़ते।
- (2) पूर्ण कृदन्त—बैठा, बैठी, पिछले।
- (3) क्रियार्थक कृदन्त—ना, नी, ने; पढ़ना, पढ़ने।
- (4) पूर्वकालिक कृदन्त—कर; पढ़कर, खड़े रहकर, खोकर।

2. शब्द-भेद की दृष्टि से—

असमापिका क्रियाएँ या तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, या विशेषण या क्रिया-विशेषण के रूप में। जैसे—

(i) संज्ञा-रूप में—

- ना—एकांत में टहलना मुझे भाता है।
- ने—गाड़ी चलने वाली है।

(ii) विशेषण-रूप में—

- ता—खेलता बच्चा खुश रहता है।
- ता—बहता पानी निर्मल होता है।
- ते—हँसते लोग अच्छे लगते हैं।
- ते—रोते मनुष्य अकेले रह जाते हैं।
- ती—छेड़ती नजरें बुरी लगती हैं।
- आ—मरा हुआ इन्सान जाग उठा।
- ई—खिली हुई कलियाँ चटक उठीं।
- ए—गिरे हुए इन्सानों को सहारा देना पुण्य है।

(iii) क्रिया-विशेषण-

- ते ही—बंदर बंदूक देखते ही भाग गया।
- ते—ते—बालक पढ़ते—पढ़ते सो गया।
- कर—मैं गाना गाकर जाऊँगा।
- ए—ए—वह बैठे—बैठे पढ़ता रहा।

3. प्रयोग की दृष्टि से-

प्रयोग की दृष्टि से कृदंत छः प्रकार के होते हैं-

(i) क्रियार्थक कृदंत-

इनका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे- टहलना, खेलना, सोना, पढ़ना आदि।

वाक्य-प्रयोग-

- समय से सोना अच्छी आदत है।
- मन लगाकर पढ़ना ही सफलता की कुंजी है।

(ii) कर्तृवाचक कृदंत-

इससे कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। जैसे- धातु+ने+वाला/वाली-पढ़ने वाला, पढ़ने वाली।

वाक्य-प्रयोग-

- खेलने वालों को मना करो।
- हँसने वालों को खड़ा करो।

(iii) वर्तमानकालिक कृदंत-

ये कृदंत वर्तमान काल में चल रही किसी क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे- बहता हुआ, जाता हुआ, नाचता हुआ।

वाक्य-प्रयोग-

- नाचता हुआ मोर कितना सुन्दर है।
- हँसता हुआ जोकर सबको गुदगुदाता है।
- ये वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण का कार्य करते हैं।

(iv) भूतकालिक कृदंत-

ये कृदंत भूतकाल में सम्पन्न हो चुकी क्रिया का बोध कराते हैं तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे- पका हुआ फल, सड़ा, निकला, भागा, जागा हुआ।

वाक्य-प्रयोग-

- जागा हुआ शिशु न जाने क्या कर बैठे?

(v) तात्कालिक कृदंत-

इस कृदंत से मुख्य क्रिया से तुरंत पहले हुई किसी क्रिया का बोध होता है। तात्कालिक कृदंत के सम्पन्न होते ही मुख्य क्रिया सम्पन्न हो जाती है। इसका वाचक प्रत्यय है-'ते', 'ही'। जैसे- तुम्हारे निकलते ही वह आ गया।

(vi) पूर्वकालिक कृदंत-

इस कृदंत से मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया का बोध होता है। इसका निर्माण धातु में 'कर' प्रत्यय लगाने से होता है। जैसे- पढ़+कर = पढ़कर, सोकर, जागकर आदि।

वाक्य-प्रयोग-

- मैं नहा-धोकर नाश्ता करूँगा।
- वह स्कूल से आकर काम करेगा।

♦ पूर्वकालिक कृदंत और तात्कालिक कृदंत में अन्तर:

पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली सामान्य क्रिया है, जबकि तात्कालिक क्रिया और मुख्य क्रिया में समय का अन्तर नहीं है। बस क्रम का अंतर है। ये दोनों क्रियाएँ क्रम के भेद से एक साथ होती हैं। पहले पूर्वकालिक क्रिया, बाद में तात्कालिक क्रिया, अंत में मुख्य क्रिया- यह क्रम रहता है।

क्रिया के वाच्य

♦ परिभाषा-

क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं।

♦ वाच्य के भेद :

वाच्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं-

(1) कर्तृवाच्य-

क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं। कर्ता ही वाक्य का केन्द्र बिन्दु होता है।

जैसे-रमा लिखती है। इस वाक्य में रमा एकवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है तथा उसकी क्रिया 'लिखती' भी एकवचन, स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष है। अतः यहाँ कर्तृवाच्य है।

(2) कर्मवाच्य-

क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य 'कर्म प्रधान हो' उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का केन्द्र बिन्दु कर्ता न होकर 'कर्म' होता है और लिंग, वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं।

जैसे-उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया। इस वाक्य में 'लिखा गया' क्रिया में 'कर्म' की प्रधानता होने से क्रिया के इस रूप में कर्मवाच्य है।

कर्मवाच्य का प्रयोग सामान्यतः निम्न स्थितियों में किया जाता है-

- जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो। जैसे-
 - चोर पकड़ा गया है।
 - आज हुक्म सुनाया जाएगा।
 - उसे पेश किया गया है।
 - यह फिर देखा जाएगा।
- जब कोई सूचना दी जाती है। जैसे-
 - शीतकालीन अवकाश बदला जाएगा।

- आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा।

(3) भाववाच्य—

क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक, एकवचन पुल्लिङ्ग तथा अन्य पुरुष में प्रयोग की जाती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया न तो कर्त्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार। इसमें क्रिया के भाव की प्रधानता रहती है। जैसे—

अब मुझसे लिखा नहीं जाता। इस वाक्य में 'लिखा नहीं जाता' क्रिया का भाव प्रमुख होने से भाव वाच्य है।

♦ वाच्यों की पहचान :

• कर्तृवाच्य—

- कर्त्ता बिना विभक्ति के होता है। अथवा

- कर्त्ता के साथ 'ने' विभक्ति होती है।

• कर्मवाच्य—

- कर्त्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' विभक्ति होती है।

- मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ 'जाना' क्रिया का लिङ्ग, वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है।

- 'जाना' के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है।

• भाववाच्य—

- कर्त्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' कारक चिह्न होता है।

- क्रिया अकर्मक होती है।

- क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग में होती है।

♦ वाच्यों का प्रयोग :

हिन्दी में अधिकतर कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है, वे इस प्रकार हैं—

◇ कर्मवाच्य के प्रयोग—स्थल—

• अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए—

(1) कल अपराधी को पेश किया जाए।

(2) शुभ्रा को दंड दिया जाए।

(3) यह खाना हमसे नहीं खाया जाता।

(4) इस मामले की पूरी जाँच की जाए।

• जब वाक्य में कर्त्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या कर्त्ता अज्ञात हो—

(1) रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है।

(2) यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती।

(3) पत्र भेज दिया गया है।

(4) गाना गाया गया होगा।

(5) गोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी।

• जब कर्त्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो—

(1) स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है।

(2) आर्य समाज द्वारा कई अंतर्जातीय विवाह कराए जाते हैं।

(3) क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है।

• कानून या कार्यालयों की भाषा में—

(1) होली की छुट्टी होगी।

(2) तीन माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) कार्य-कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

(4) बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा।

(5) आपके प्रार्थना-पत्र को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है।

◇ भाववाच्य के प्रयोग—स्थल—

• विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में—

(1) यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता।

(2) आज मुझसे बैठा भी नहीं आ रहा है।

(3) यह खाना कैसे खाया जाएगा?

• अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए—

(1) अब थोड़ी देर आराम किया जाए।

(2) अब चला जाए।

(3) चलिए, अब थोड़ा सो लिया जाए।

♦ वाच्य परिवर्तन :

1. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना :

♦ कर्तृवाच्य के कर्त्ता को करण कारक बना दिया जाता है अर्थात् कर्त्ता को उसकी विभक्ति (यदि लगी है तो) हटाकर 'से', 'द्वारा' या 'के द्वारा' विभक्ति लगा दी जाती है। जैसे—

• कर्तृवाच्य—संगीता पत्र लिखती है।

• कर्मवाच्य—संगीता से पत्र लिखा जाता है।

• कर्तृवाच्य—संगीता ने पत्र लिखा।

• कर्मवाच्य—संगीता द्वारा पत्र लिखा गया।

• कर्तृवाच्य—संगीता पत्र लिखेगी।

• कर्मवाच्य—संगीता के द्वारा पत्र लिखा जाएगा।

♦ कर्म के साथ यदि विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे—

• कर्तृवाच्य—माँ ने पुत्र को सुला दिया।

• कर्मवाच्य—माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया।

• कर्तृवाच्य—सुशीला पुस्तक को पढ़ेगी।

• कर्मवाच्य—सुशीला के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी।

2. कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना :

♦ कर्त्ता के आगे 'से' अथवा 'के द्वारा' लगाएँ। जैसे— बच्चे—बच्चों से, लड़की—लड़की के द्वारा।

♦ मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एकवचन में बदलकर उसके साथ 'जाना' धातु के एकवचन, पुल्लिङ्ग, अन्य पुरुष का वही काल लगा दें, जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे—

• कर्तृवाच्य—बालक नहीं पढ़ता है।

• भाववाच्य—बालक से पढ़ा नहीं जाता।

• कर्तृवाच्य—हम दौड़ेंगे।

- भाववाच्य—हमसे दौड़ा जाएगा।
- कर्तृवाच्य—पक्षी आकाश में नहीं उड़ते।
- भाववाच्य—पक्षियों द्वारा आकाश में नहीं उड़ा जाता है।
- कर्तृवाच्य—मैं नहीं पढ़ता।
- भाववाच्य—मुझसे पढ़ा नहीं जाता।
- कर्तृवाच्य—शेर दौड़ता है।
- भाववाच्य—शेर से दौड़ा जाता है।
- कर्तृवाच्य—लड़का रात भर सो न सका।
- भाववाच्य—लड़के से रात भर सोया न जा सका।
- कर्तृवाच्य—मैं अब नहीं चल सकता।
- भाववाच्य—मुझसे अब नहीं चला जाता।
- कर्तृवाच्य—क्या वे लिखेंगे?
- भाववाच्य—क्या उनसे लिखा जाएगा?
- कर्तृवाच्य—भाई लड़ नहीं सका।
- भाववाच्य—भाई से लड़ा नहीं जा सका।

3. कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना :

◆ कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए 'से', 'द्वारा', 'के द्वारा' आदि को हटा दिया जाता है। जैसे—

* कर्मवाच्य/भाववाच्य—

- पक्षियों से उड़ा नहीं जाता।
- अपर्णा द्वारा कविता पढ़ी गई।
- लड़कों द्वारा हँसा नहीं जाता।
- वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया।
- सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है।
- बालकों द्वारा क्रिकेट खेली गई।

* कर्तृवाच्य—

- पक्षी उड़ नहीं पाते।
- अपर्णा ने कविता पढ़ी।
- लड़के नहीं हँसे।
- वेदव्यास ने महाभारत लिखी।
- सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है।
- बालकों ने क्रिकेट खेली।

5. अव्यय

◆ परिभाषा—

जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं।

अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है— जो व्यय नहीं होता है। अर्थात् ये अविकारी होते हैं। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं, वहाँ एक ही रूप में रहते हैं। जैसे— अन्दर, बाहर, अनुसार, अधीन, इसलिए, यद्यपि, तथापि, परन्तु आदि।

◆ अव्यय के भेद—

अव्यय या अविकारी शब्दों को सुविधा, स्वरूप और व्यवस्था की दृष्टि से चार भागों में बाँटा गया है—

1. क्रिया-विशेषण
2. समुच्चय बोधक
3. सम्बन्ध बोधक
4. विस्मय बोधक अव्यय।

1. क्रिया-विशेषण अव्यय—

क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे—'अधिक तेज दौड़ना' में दौड़ने की विशेषता क्रिया विशेषण शब्द 'तेज' बतला रहा है परन्तु 'अधिक' क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता बतला रहा है। अन्य उदाहरण—

- वह प्रतिदिन पढ़ता है।
- कुछ खा लो।
- मोहन सुन्दर लिखता है।
- घोड़ा तेज दौड़ता है।

इन वाक्यों में प्रतिदिन, कुछ, सुन्दर व तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया-विशेषण अव्यय हैं।

क्रिया-विशेषण अव्यय छः प्रकार के होते हैं—

(1) स्थानवाचक क्रिया विशेषण—

जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया की स्थान या दिशा सम्बन्धी विशेषता प्रकट होती है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जैसे—

- वह यहाँ नहीं है।
- तुम वहाँ क्या कर रहे थे?
- तुम आगे चलो।
- वह पेड़ के नीचे बैठा है।
- इधर—उधर मत भागो।
- हमारे आस—पास रहना।

इन वाक्यों में यहाँ, वहाँ, नीचे, इधर—उधर, आस—पास स्थानवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय हैं।

(2) कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय—

जिन क्रिया-विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय या काल मालूम होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे—सर्वदा, बहुधा, निरन्तर, प्रतिदिन, आज, कल, परसों आदि।

- तुम अब जा सकते हो।
- दिन भर पानी बरसता रहा।

- तुम प्रतिदिन समय पर आते हो।

इन वाक्यों में अब, दिनभर, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं अतः ये कालवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय हैं।

(3) परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय-

जिन क्रिया-विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात् अधिकता-न्यूनता, नाप-तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- थोड़ा, तनिक, पर्याप्त, बहुत, बिल्कुल आदि।

- उतना खाओ, जितना आवश्यक हो।
- कुछ तेज चलो।
- तुम खूब खेलो।
- रमेश बहुत बोलता है।

इन वाक्यों में उतना, जितना, कुछ, खूब व बहुत परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय हैं।

(4) रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय-

वे क्रिया-विशेषण शब्द जिनसे क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है अर्थात् क्रिया के होने का ढंग मालूम होता है, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे-धीरे-धीरे, मानो, यथाशक्ति, ज्यों, त्यों आदि।

रीतिवाचक विशेषण निम्न अर्थों में आते हैं-

1. प्रकारात्मक-धीरे-धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शान्ति से, हँसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरन्त आदि।
2. निश्चयात्मक-अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, बेशक, निःसंदेह आदि।
3. अनिश्चयात्मक-कदाचित्, शायद, सम्भव है, बहुत करके, बहुधा, प्रायः, अक्सर आदि।
4. स्वीकारात्मक-हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल सही, जी हाँ आदि।
5. कारणात्मक (हेतु)-इसलिए, अतएव, क्योंकि, किसलिए, काहे को, अतः आदि।
6. निषेधात्मक-न, ना, नहीं, मत, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, जी नहीं आदि।
7. आवृत्यात्मक-गटागट, फटाफट, खुल्लमखुल्ला आदि।
8. अवधारक-ही, तो, भी, तक, भर, मात्र, अभी, कभी, जब भी, तभी आदि।

(5) स्वीकारात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय-

जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्वीकृति का बोध होता है, उन्हें स्वीकारात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- जी, अवश्य, अच्छा, बहुत अच्छा, जरूर आदि।

(6) निषेधात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय-

जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, उन्हें निषेधात्मक क्रिया-विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे- न, नहीं, मत आदि।

♦ क्रिया-विशेषणों की रचना :

मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के योग से भी कुछ क्रिया-विशेषण शब्दों की रचना होती है, जिन्हें यौगिक क्रिया-विशेषण कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं-

1. संज्ञा से-प्रेमपूर्वक, कुशलतापूर्वक, दिन-भर, रात-तक, सवेरे, सायं आदि।
2. सर्वनाम से-यहाँ, वहाँ, अब, जब, जिससे, इसलिए, जिस पर, ज्यों, त्यों, जैसे-वैसे, जहाँ-वहाँ आदि।
3. विशेषण से-धीरे, चुपके, इतने में, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, पहले, दूसरे, प्रायः, बहुधा आदि।
4. क्रिया से-चलते-चलते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, जाते-जाते, करते हुए, लौटते हुए आदि।
5. शब्दों की पुनरुक्ति से-हाथों-हाथ, रातों-रात, बीचों-बीच, घर-घर, साफ-साफ, कभी-कभी, क्षण-क्षण, पल-पल, धड़ाधड़ आदि।
6. विलोम शब्दों के योग से-रात-दिन, साँझ-सवेरे, देश-विदेश, उल्टा-सीधा, छोटा-बड़ा आदि।
7. तः प्रत्याना-सामान्यतः, वस्तुतः, साधारणतः, येन केन प्रकारेण (जैसे-तैसे) आदि।
8. बिना प्रत्ययान्त के-कभी-कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बिना किसी प्रत्यय के, क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

(1) संज्ञा -

- तू सिर पड़ेगा।
- तुम खाक करोगे।

(2) सर्वनाम -

- यह क्या हुआ?
- तूने यह क्या किया?

(3) विशेषण -

- अच्छा हुआ।
- घोड़ा अच्छा चलता है।

(4) पूर्वकालिक क्रिया -

- सुनकर चला गया।
- देखकर चकरा गया।

इस प्रकार के वाक्य क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

(9) परसर्ग जोड़कर-कुछ क्रिया-विशेषणों के साथ की, के, को, से, पर आदि विभक्तियाँ भी लगती हैं और इनके योग से भी क्रिया-विशेषणों की रचना होती है। जैसे-

- कहाँ से आ रहे हो।
- यहाँ से क्यों जा रहे हो।
- कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ।
- गुरुजी से नम्रता से बोलो।
- आगे से ऐसा मत करना।
- रात को देर तक मत पढ़ना।

परसर्गों की सहायता से बने ये वाक्य क्रिया-विशेषणों का कार्य कर रहे हैं।

10. पदबन्ध-पूरे वाक्यांश क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

- सवेरे से शाम तक।
- तन-मन-धन से।
- जी-जान से।
- पहाड़ की तलहटी में।
- आपके आदेशानुसार। आदि पदबन्ध क्रिया-विशेषण हैं।

2. समुच्चयबोधक अव्यय-

जिन अव्यय शब्दों से दो शब्द, दो वाक्यांश, दो उपवाक्य, पदबन्ध या वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। जैसे- पुनः, यथा, वरना, अधिक आदि।

- वह निकम्मा है इसीलिए सब उसे दुत्कारते हैं।

- यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे।
- राम यहाँ रहे या कहीं और।
- यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का।
उक्त वाक्यों में 'इसीलिए', 'यदि', 'तो', 'या', 'और' शब्द समुच्चय या योजक अव्यय हैं क्योंकि ये वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं।

♦ समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं—

1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक
2. व्याधिकरण समुच्चय बोधक।

1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक—

वे अव्यय जो समान घटकों (शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों) को परस्पर मिलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं।

समानाधिकरण अव्यय के तीन भेद हैं—

(1) संयोजक—

जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे—

- राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं।
- मैं और मेरा पुत्र एवं पड़ोसी सभी साथ थे।
- बादल उमड़े एवं वर्षा हुई।
उपर्युक्त वाक्यों में 'और', 'एवं' शब्द संयोजक अव्यय हैं।

(2) विकल्पबोधक—

ये अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। जैसे—

- तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा।
- न रमेश कोई काम करता है न सुरेश ही।
- तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या साइकिल।
उक्त वाक्यों में 'अथवा', 'न' व 'या' शब्द विकल्पबोधक अव्यय का कार्य कर रहे हैं।

(3) भेदबोधक—

जो योजक शब्द एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द से भिन्नता का ज्ञान कराते हैं उन्हें भेदबोधक कहते हैं। जैसे— परन्तु, यद्यपि, तथापि, चाहे, तो भी।

- वह नालायक है फिर भी पास हो जाता है।
- यद्यपि तुम बुद्धिमान हो तथापि कम अंक लाते हो।
- तुम पढ़ने में होशियार हो परन्तु रोज नहीं आते।
उक्त वाक्यों में 'फिर भी', 'यद्यपि', 'तथापि' और 'परन्तु' शब्द वाक्यों में भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं।

भेदबोधक के भी चार निम्नलिखित उपभेद हैं—

(1) विरोधदर्शक—

जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे अर्थ का विरोध प्रकट हो, तब वह विरोधदर्शक कहलाता है। जैसे— किन्तु, परन्तु आदि। इनके पहले अल्पविराम (,) अर्द्धविराम (:) लगते हैं।

- रमेश ने बहुत प्रयत्न किया; परन्तु फिर भी असफल रहा।
- छात्राएँ आगे बढ़ती गईं; किन्तु छात्र पिछड़ते रहे।

उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रयत्न करना सफलता का प्रतीक है; पर असफलता मिली। छात्राओं की तरह छात्र भी आगे बढ़ते पर ऐसा अर्थ नहीं मिला। इसलिए यहाँ विरोधदर्शक अव्यय ही क्रियाशील रहे।

(2) परिणामदर्शक—

इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे—

- चुप हो जाओ नहीं तो दण्ड मिलेगा।
- नौकर ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल दिया।
- मेरा कहना मानो अन्यथा बाद में पछताओगे।

उक्त वाक्यों में 'नहीं तो', 'इसलिए', 'अन्यथा' शब्द परिणाम दर्शक का कार्य कर रहे हैं।

(3) संकेतबोधक—

जहाँ दो वाक्यों के आरम्भ में संयोजक द्वारा अगले सम्बन्ध बोधक (योजक) का संकेत पाया जाए, वहाँ संकेत बोधक होता है। वाक्य में अव्यय प्रायः जोड़े में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे—

- यद्यपि वह बहुत पढ़ा लिखा है तथापि रिश्ती होने के कारण उसका सम्मान नहीं है।
- यदि तुम गाँव जाओ तो वहाँ सबसे मेरा राम—राम कहना।
- चाहे कोई कितना धनी हो, तो भी चरित्र के बिना सम्मान नहीं पाता।

उक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि के साथ तथापि, यदि के साथ तो, चाहे के साथ तो भी, जब के साथ जब तक, से के साथ तक, भले के साथ परन्तु आदि का वाक्यों में प्रयोग होता है तो उक्त संकेतबोधक अव्यय कहलाएँगे।

(4) स्वरूपबोधक—

जिस शब्द का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए, तो वह समुच्चय बोधक का स्वरूप बोधक नामक अव्यय भेद कहलाता है। जैसे—

- तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात् कोमल हैं।
- वह अहिंसावादी यानी गाँधीजी का पुजारी है।
- राम इतना अच्छा है मानो सचमुच राम है।
इन वाक्यों में यानी, अर्थात्, मानो स्वरूप बोधक अव्यय हैं।

2. व्याधिकरण समुच्चय बोधक—

एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे— यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, इसलिए, यानि, अर्थात् आदि।

व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं—

(I) कारणबोधक—

(क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि, ताकि आदि।)

ये अव्यय वाक्यों के आरंभ में आते हैं। जैसे—

- अजय को बुरा है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा।
- मुझे घर जाना चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूँ।

(II) संकेत बोधक—

(यदि, तो, यद्यपि... तथापि, यद्यपि... परंतु आदि।)

ये अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे—

- यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई।
- यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ।

(III) स्वरूप बोधक—

(अर्थात्, यानि, मानो आदि।)

ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे—

- मैं अहिंसावादी यानि गाँधी का समर्थक हूँ।
- तुम्हारे हाथ फूल जैसे अर्थात् कोमल हैं।

(IV) उद्देश्य बोधक—

(ताकि, जिससे, कि, इसलिए आदि।)

ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे—

- मैंने सुबह पढ़ाई पूरी कर ली ताकि शाम को खेल सकूँ।
- मैं भागा जिससे गाड़ी पकड़ सकूँ।

3. सम्बन्ध बोधक अव्यय—

जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बताते हैं, उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे— और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसे, लिए, मारे, करके आदि सम्बन्धवाचक अव्यय हैं।

उदाहरण—

- खुशी के मारे वह पागल हो गया।
- बालक चाँद की ओर देख रहा था।
- मेरे घर के सामने मन्दिर है।
- छत के ऊपर मोर नाच रहा है।
- मेरे कारण तुम्हें परेशानी हुई।

उक्त वाक्यों में मारे, और, सामने, ऊपर, कारण शब्द सम्बन्ध बोधक अव्यय का कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सम्बन्ध बोधक शब्द और उनके प्रयोग द्रष्टव्य हैं—

शब्द — प्रयोग

- नाई—पढ़े—लिखे की नाई (तरह)।
- रहे—दो घड़ी दिन रहे चल देना।
- नीचे—पेड़ के नीचे खाट पर सो जाना।
- तले—गरीब आकाश तले रात गुजारते हैं।
- पास—गाँव के पास स्टेशन है।
- निकट—शहर के निकट के लोग प्रायः सम्पन्न होते हैं।
- निमित्त—हम सब तो निमित्त मात्र हैं।
- आगे—मेरे घर के आगे बस—स्टेण्ड है।
- पीछे—हमारे घर के पीछे बगीचा है।
- पहले—वर्षा से पहले छत ठीक कर लो।
- द्वारा—मेरे द्वारा कुछ गलत न हो जाए।
- समान—ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है।
- समीप—तालाब के समीप मत जाना।
- तक—हम दो दिन तक भटकते रहे।
- प्रतिकूल—प्रकृति प्रतिकूल चले तो विनाश हो जाएगा।
- विरुद्ध—मेरे विरुद्ध वह आवाज नहीं उठा सकता।
- मध्य—आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मन मुटाव चल रहा है।
- विषय—मुझे उसके विषय में कुछ नहीं मालूम।
- बाहर—घर के बाहर बहुत बड़ा चौक है।
- परे—शक्ति से परे व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए।
- समेत—भाइयों के समेत मैं भी वहीं था।
- तुल्य—वह मानव नहीं देवता—तुल्य है।
- सदृश—वह खुशी के मारे कमल के सदृश खिल उठा।

◆ सम्बन्ध बोधक अव्यय के भेद—

सम्बन्धबोधक अव्ययों के भण्डार को भाषा की सुविधा हेतु चौदह भेदों में इस प्रकार स्पष्ट करेंगे—

1. कालवाचक — आगे, पीछे, पहले, बाद, पूर्व, पश्चात्, उपरान्त आदि।
2. स्थानवाचक — पास, दूर, तरफ, प्रति, ऊपर, नीचे, तले, मध्य, बाहर ही, भीतर, अन्दर, सामने, निकट, यहाँ, वहाँ, नजदीक आदि।
3. साधनवाचक — हाथ, द्वारा, हस्ते, विरुद्ध, जरिये, मारफत, सहारे आदि।
4. दिशावाचक — सामने, ओर, पार, तरफ, आर-पार, प्रति, आस-पास आदि।
5. विरोधसूचक — प्रतिकूल, उलटे, विपरीत, खिलाफ आदि।
6. हेतु (कारण) वाचक — कारण, हेतु, लिए, निमित्त, वास्ते, खातिर आदि।
7. व्यतिरेकवाचक — अतिरिक्त, अलावा, सहित, सिवाय आदि।
8. सहसूचक — साथ, संग, समेत, पूर्वक, अधीन, वश आदि।
9. पार्थक्य सूचक — दूर, पृथक्, परे, हटकर आदि।
10. तुलनावाचक — की अपेक्षा, की बजाय, वनिस्पत आदि।
11. संग्रहवाचक — मात्र, भर, पर्याप्त, तक आदि।
12. साम्यवाचक — सदृश, बराबर, ऐसा, जैसा, अनुसार, समान, तुल्य, नाई, अनुरूप, तरह आदि।
13. विनिमयवाचक — एवज, पलटे, के बदले, की जगह आदि।
14. विषयवाचक — भरोसे, लेखे, नाम, विषय, बाबत आदि।

4. विस्मयादिबोधक अव्यय—

वे अव्यय शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि, खेद आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे—

अहो, हे, छी, वाह, धिक्कार आदि।

♦ विस्मय बोधक अव्यय के सात भेद हैं –

1. हर्षबोधक—वाह—वाह!, धन्य—धन्य!, आह!, शाबाश!
2. शोकबोधक—हाय!, आह!, हा—हा!, त्राहि—त्राहि!
3. आश्चर्यबोधक—अहो!, ओह!, ओहो!, हैं!, क्या!
4. अनुमोदनबोधक—अच्छा!, हाँ—हाँ!, वाह!, शाबाश!
5. तिरस्कारबोधक—छिः!, हट!, अरे!, धिक्!
6. स्वीकृतिबोधक—अच्छा!, ठीक!, बहुत अच्छा!, हाँ!, जी हाँ!
7. सम्बन्धबोधक—अरे!, रे!, अजी!, अहो! आदि।

कभी—कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक का काम करते हैं। जैसे—

- संज्ञा—राम—राम!, शिव—शिव!, जय गंगे!, श्री कृष्ण! आदि।
- सर्वनाम—यही!, कौन!, क्या!, तूने! आदि।
- विशेषण—सुन्दर!, अच्छा!, खूब!, बहुत अच्छे!, जंगली! आदि।
- क्रिया—चला जाऊँ!, चुप!, आ गये! आदि।
- वाक्यांश—शान्तम् पापम्! आदि।

♦ निपात :

वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे— ही, तक, तो, भी, सा, जी, मत, यह, क्या आदि निपात हैं।

निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं हैं। इनका कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। निपात का कार्य शब्द—समूह को बल प्रदान करना है।

♦ निपात के भेद—

1. स्वीकारात्मक—हाँ, जी, जी हाँ।
2. नकारात्मक—जी नहीं, नहीं।
3. निषेधात्मक—मत।
4. प्रश्नबोधक—क्या।
5. विस्मयात्मक—काश।
6. तुलनात्मक—सा।
7. अवधारणात्मक—ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन।
8. आदरात्मक—जी।

पद—परिचय

♦ पद—परिचय :

वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को 'पद' कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के स्वरूप, प्रकार या भेद का विश्लेषण करना अथवा परिचय देना ही 'पद—परिचय' कहलाता है।

अंग्रेजी में इसे (Parsing) कहते हैं। पद—परिचय को पदान्वय, पद—व्याख्या, पद—निर्देश, पदच्छेद, शब्द निरूपण या शब्दबोध आदि भी कहा जाता है।

वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं। पद—परिचय में यह बताया जाता है कि वाक्य में शब्द विशेष का प्रयोग के अनुसार क्या स्थान है? यदि यह विकारी (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया) है तो उसके लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि क्या हैं और उसके साथ वाक्य में आये अन्य शब्दों का क्या सम्बन्ध है? यदि वह शब्द अविकारी (क्रिया—विशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक) है तो किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है और वह अव्यय के किस भेद के अन्तर्गत आता है और वाक्य में अन्य शब्दों से उसका क्या सम्बन्ध है? इस प्रकार पद—परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त के अनुसार शब्दों की भेदोपभेद सहित व्याख्या करनी पड़ती है।

उदाहरण—

1. संज्ञा का पद परिचय—

इसमें संज्ञा का प्रकार (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक), लिंग, वचन, कारक (कर्ता, कर्म आदि) तथा वाक्य के क्रिया आदि शब्दों से सम्बन्ध बताया जाता है। जैसे—

- बचपन में बालकों में चंचलता होती है।

पद—परिचय—

- (1) बचपन—भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'होती है' क्रिया का आधार।
- (2) बालकों—जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'होती है' क्रिया का आधार।
- (3) चंचलता—भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'होती है' क्रिया का कर्त्ता।

2. सर्वनाम का पद—परिचय—

इसमें सर्वनाम का भेद, वचन, लिंग, कारक, पुरुष और अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताया जाता है। जैसे—

- वह कौन थी, जिससे तुम अभी—अभी बात कर रहे थे।

पद—परिचय—

- (1) वह—पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्यपुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'बात कर रहे थे' क्रिया का कर्त्ता।
- (2) कौन—प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'वह' का अधिकरण।
- (3) जिससे—सम्बन्ध वाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक, क्रिया 'बात कर रहे थे' का कर्म।
- (4) तुम—पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यमपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्त्ताकारक, 'बात कर रहे थे' क्रिया का कर्त्ता।

3. विशेषण का पद—परिचय—

इसमें विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेषण की अवस्था, विशेष्य का निरूपण ये बातें बताई जाती हैं। जैसे—

- जोधपुरी साड़ी खरीदनी चाहिए।

पद—परिचय—

- (1) जोधपुरी—व्यक्तिवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, साड़ी का विशेषण।

4. क्रिया का पद—परिचय—

क्रिया के पदान्वय में क्रिया के भेद (सकर्मक और अकर्मक), काल (वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल), पुरुष, लिंग, वाच्य (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य), क्रिया का कर्त्ता आदि से सम्बन्ध बताया जाता है। जैसे—

- सुरेन्द्र ने कहा— "मैं पुस्तक पढ़ूँगा। तुम भी अपना पाठ पढ़कर सुनाओ।"

पद-परिचय-

- (1) कहा—सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, 'पढ़ूँगा' क्रिया का कर्ता सुरेन्द्र है और कर्म है— मैं पुस्तक पढ़ूँगा।
- (2) पढ़ूँगा—सकर्मक क्रिया, सामान्य भविष्यत काल, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, 'पढ़ूँगा' क्रिया का कर्ता 'मैं' और कर्म है— 'पुस्तक' ।
- (3) पढ़कर—सकर्मक पूर्वकालिक क्रिया, कर्म है— 'पाठ' ।
- (4) सुनाओ—सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया, मध्यम पुरुष, बहुवचन, कर्तृवाच्य, इसका कर्ता है— 'तुम' ।

5. अव्यय का पद-परिचय-

इसमें अव्यय (क्रिया-विशेषण) का प्रकार और क्रिया से सम्बन्ध बताया जाता है। जैसे—

- तुम यहाँ कब आये।

पद-परिचय-

- (1) यहाँ—स्थानवाचक क्रियाविशेषण अव्यय 'आये' क्रिया की विशेषता बताता है।
- (2) कब—कालबोधक क्रियाविशेषण अव्यय 'आये' क्रिया की विशेषता बताता है।
- मैं आज काम नहीं करूँगा।

पद-परिचय-

- (1) आज—कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेष्य क्रिया 'करूँगा' ।
- (2) नहीं—रीतिवाचक क्रियाविशेषण, विशेष्य क्रिया 'करूँगा' ।

—:o:—

« [पीछे जायें](#) | [आगे पढ़ें](#) »

- [सामान्य हिन्दी](#)
- ♦ [होम पेज](#)

प्रस्तुति:-

प्रमोद खेदड़

